भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2109

सोमवार, 02 दिसंबर, 2019/11 अग्रहायण, 1941 (शक)

ईपीएफओ अंशदाता

2109. श्री एस. रामलिंगम:

श्री ए. राजा:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु सहित देश में ईपीएफओ अंशदाताओं की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने ईपीएफओ के अंतर्गत पंजीकृत संगठन के प्रत्येक कर्मचारी के लिए एक यूएएन संख्या प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो तमिलनाडु सहित तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) अब तक यूएएन संख्या जारी किए गए अंशदाताओं की संख्या का तमिलनाडु सहित ब्यौरा क्या है और अंशदाताओं को यह संख्या कब तक जारी की जाएगी;

(ङ) देशभर के ईपीएफओ दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं करने वाले संगठनों की संख्या का ब्यौरा क्या है; और

(च) इन कम्पनियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई या की जा रही है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): तमिलनाडु राज्य सहित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के अभिदाताओं की संख्या का राज्यवार विवरण अनुबंध क में हैं।

(ख) और (ग): सार्वभौमिक खाता संख्या (यूएएन) केवल एक ऐसे प्रतिष्ठान के कर्मचारियों के लिए आवश्यक है जो कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्य बनने के लिए पात्र हैं और जिनके लिए नियोक्ता को भविष्य निधि (पीएफ) और संबद्ध देय राशि का भुगतान करना होता है। ईसीआर (इलेक्ट्रोनिक चालान कम रिटर्न) को जनवरी, 2017 से यूएएन आधारित बनाया गया था। यूएएन अभिदाता के लिए एक पहचान संख्या है और इसे नियोक्ताओं द्वारा सृजित किया जाता है। अभिदाताओं को अपने स्वयं के यूएएन प्राप्त करने की भी सुविधा दी गई है। आवंटित किए गए यूएएन की राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र-वार गणना अनुबंध क में हैं।

(घ): यूएएन नियोक्ता द्वारा उनके लॉगिन से सृजित किया जाता है और यूएएन सभी अधिदाताओं के लिए जेनरेट किए गए हैं क्योंकि ईसीआर (इलेक्ट्रोनिक चालान कम रिटर्न) यूएएन आधारित है।

(ङ) और (च): जहाँ भी ईपीएफओ के दिशानिर्देशों का पालन न करने की सूचनाएँ ईपीएफओ के क्षेत्र कार्यालयों के ध्यान में आती हैं, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 और इसके तहत बनाई गई योजनाओं के उपबंधों के अनुसार समुचित कार्रवाई की जाती है।

* ****

अनुबंध क

'ईपीएफओ अंशदाता' से संबंधित श्री एस. रामलिंगम और श्री ए. राजा द्वारा दिनांक 02.12.2019 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2109 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

अगस्त-अक्तूबर, 2019 वेतन माह अवधि के दौरान प्राप्त अंशदान पर आधारित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार अभिदाता/सार्वभौमिक खाता संख्या		
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अभिदाता
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	14820
2	आंध्र प्रदेश	1108045
3	अरुणाचल प्रदेश	5535
4	असम	255657
5	बिहार	444461
6	चंडीगढ़	413112
7	छत्तीसगढ	442484
8	दिल्ली	2839981
9	गोवा	183662
10	गुजरात	3138076
11	हरियाणा	2414599
12	हिमाचल प्रदेश	320226
13	झारखंड	463866
14	कर्नाटक	5525740
15	केरल	1057686
16	मध्य प्रदेश	1084430
17	महाराष्ट्र	9434009
18	मणिपुर	14206
19	मेघालय	34388
20	मिजोरम	3577
21	नागालैंड	8206
22	ओडिशा	722134
23	पंजाब	686825
24	राजस्थान	1150289
25	तमिलनाडु	5141091
26	तेलंगाना	2836047
27	त्रिपुरा	27268
28	उत्तर प्रदेश	2118921
29	उत्तराखंड	540366
30	पश्चिम बंगाल	2631265
कुल		**45060972**

****